प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2019**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन योजनान्तर्गत बायर सेलर मीट एवं प्रसंस्कृत प्रजाति के आलू बीज उत्पादन पर देय अनुदान हेतु व्यवस्थित धनराशि रू0-34.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-आलू/40 जी/बायर सेलर मीट, दिनांक 11-09-2019 एवं पत्र संख्या-46/बजट/2019-20, दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-07-उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन योजनान्तर्गत बायर सेलर मीट एवं प्रसंस्कृत प्रजाति के आलू बीज उत्पादन पर देय अनुदान हेतु व्यवस्थित रू0-34.00 लाख आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक	**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	*2*	*3*	*4*
2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	18.00	18.00
	27-सब्सिडी	16.00	16.00
योग-		**34.00**	**34.00**

(रूपये- चौतीस लाख मात्र)

1. मद सं0-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 के क्रियान्वयन हेतु बायर सेलर मीट कार्यक्रम आयोजित करने तथा 27-सब्सिडी मद की धनराशि सब्सिडी मद पर ही किया जायेगा। अन्य कार्यक्रमों/मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

5- धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

7- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व कार्य-योजना/प्रत्येक प्रस्तावित बायर सेलर मीट के कार्यक्रम के आयोजन से एक पक्ष पूर्व अवगत कराया जायेगा।

8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अतः सब्सिडी मद हेतु अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-44/2019-1900(1)/58-2019, तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in